

369/13-17

आदेश - पत्रक

अनुसूची 14-फॉर्म नं० 562

(इस अधिलेख, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक नं० से डा० रवीन्द्र सिंह
 जिला में

आदेश की क्र० सं० और ता०	आदेश और परामर्शकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित										
1	2	3										
	<p>श्री <u>श्रीमती कर्मा देवी</u></p> <p>पत्न <u>श्री ६६६६६६६६ मिश्रा</u> नाम <u>पुष्पिका लाल</u></p> <p>धरती <u>मालमजिद</u> जिला <u>पुन</u></p> <p>पं० थाला नं० दिनांक</p> <p>आधार पर निम्नलिखित आधार पर दाखिल खारिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।</p> <table border="0"> <tr> <td>आधार का नाम</td> <td>शेखी नं०</td> <td>खाला नं०</td> <td>खसरा</td> <td>एराजी</td> </tr> <tr> <td><u>पुष्पिका लाल</u></td> <td><u>१९</u></td> <td><u>१२२</u></td> <td><u>४६९</u></td> <td><u>३३००</u></td> </tr> </table> <p>मूल आवेदन पत्र इन्फार्मेशन कार्यालय को अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दें। महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग कर। अधिलेख दिनांक <u>10/04/12</u> को उपस्थित करें।</p> <p><u>MS</u> अंचल अधिकारी</p> <p>महाल पर नामित नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। कार्यालय का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के नाम अधिलेख खारिज करने की अनुमति किये हैं। फलतः उनके आवेदन को आधार पर दाखिल नहीं किया जा रहा है।</p> <p>दिनांक एवं मुद्रा <u>MS</u></p> <p><u>MS</u></p>	आधार का नाम	शेखी नं०	खाला नं०	खसरा	एराजी	<u>पुष्पिका लाल</u>	<u>१९</u>	<u>१२२</u>	<u>४६९</u>	<u>३३००</u>	<p>आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित</p>
आधार का नाम	शेखी नं०	खाला नं०	खसरा	एराजी								
<u>पुष्पिका लाल</u>	<u>१९</u>	<u>१२२</u>	<u>४६९</u>	<u>३३००</u>								